न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 177/15 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री पन्नालाल पिता कन्ना जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
2. श्रीमती मोहनी पत्नी कन्ना जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
3. श्री पेमा पिता तेजा जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
4. श्री हेमा पिता तेजा जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हजारीलाल पिता नाथुलाल जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
2. श्री श्यामलाल पिता नाथुलाल जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
3. मांगी पिता नाथुलाल जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
4. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी नाथुलाल जाट निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
5. श्री किशनसिंह (गांधी) पिता छगनसिंह राव निवासी मरतडी तह. मावली।
6. बानु बेगम पत्नी जब्बार अली मुसलमान निवासी गारियावास, मावली तह. मावली।
7. श्री पन्नालाल पिता भेरूलाल तेली निवासी गायरियावास, मावली तह. मावली।
8. श्री राकेश पिता सोहनलाल मीणा निवासी लदानी तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 7
3. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.01.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सालेराखुर्द पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 323 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व देवीलाल के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 7 के नाम 20/108 हिस्सा, विपक्षी सं. 8 के नाम 3/108 हिस्सा, प्रताप के नाम 1/3 हिस्सा, सुडीबाई के नाम 3/108 हिस्सा, हीरा के नाम 10/108 हिस्सानुसार अंकित हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व अन्य के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है तथा उक्त वर्णित हक व हिस्से की कृषि भूमि का मौके

पर बंटवाडा किया हुआ नहीं होकर सभी सहखातेदारान संयुक्त रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्सा भूमि को और अधिक विकसित करने हेतु बैंक से ऋण आदि लेने, भूमि का विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए उक्त वर्णित आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

3. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 से 6 का कोई हक एवं अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षी सं. 1 से 6 जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर उक्त वर्णित जमीन पर कब्जा जमाना चाह रहे हैं तथा हम प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को नाजायज तरीके से एग्रीमेन्ट के जरिये अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर रहा है तथा विपक्षी सं. 1 से 4 ने विपक्षी सं. 5, 6 को उक्त भूमि में से एक–एक भूखण्ड नाजायज तरीके से एग्रीमेन्ट के जरिये बेच दिया है एवं विपक्षी सं. 5 ने मौके पर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री डलवा द्रुतगति से निवे खुदवा निर्माण कराना शुरू कर दिया है और विपक्षी सं. 6 भी अब जोर जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है और ये लोग निरन्तर धमकीयां भी दे रहे है। जबकि विपक्षी सं. 1 से 8 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर सभी सहखातेदार संयुक्त काश्त कर रहे है जिसमें विपक्षी सं. 1 से 6 का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षी सं. 1 से 4 अनाधिकार रूप से उक्त भूमि में प्लोट विक्रय कर रहे है तथा विपक्षी सं. 5, 6 को भी इन लोगों ने इकरार के जरिये प्लोट बेचे है जिससे विपक्षी सं. 5 ने मौके पर अनाधिकार रूप से कारतामीर कराना शुरू करा दिया है तथा विपक्षी सं. 6 भी अब उक्त जमीन पर कब्जा करने पर आमादा हो रही है तथा इनके साथ ही विपक्षी सं. 7, 8 भी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश में है जबकि इन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 से 8 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी सं. 1 से 6 उक्त भूमि में अनाधिकार रूप से प्रवेश नहीं करे, विपक्षी सं. 1 से 4 उक्त भूमि से प्लोट नहीं बेचे, विपक्षी सं. 5, 6 कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, विपक्षी सं. 7, 8 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा नहीं करे, उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण को संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें

किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

5. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.12.2015 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 से 4 ने विपक्षी सं. 5, 6 को प्लोट बेचने की बात कही और विपक्षी सं. 7, 8 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की और समझाने पर भी नहीं माने और लडाई झगडा किया जिससे प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 से 6 अनाधिकार रूप से प्रवेश नहीं करे, विपक्षी सं. 1 से 4 उक्त भूमि मे से प्लोट नहीं बेचे, विपक्षी सं. 5, 6 कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण को संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 8 को पर्याप्त अवसर दिया जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि विपक्षीगण खातेदार है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व कोई दाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 7, 8 के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। विपक्षी सं. 1 से 6 खातेदार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 से 6 प्रार्थीगण के खाते की भूमि में दखलन्दाजी कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडे का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थीगण खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 7, 8 दोनो खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 7, 8 के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 7, 8 के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित सम्पति हैं। विभाजन नही होने तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। चूंकि वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर दिया है, एवं विभाजन नहीं होने तक यदि पक्षकरान को पाबन्द नहीं किया जाता एव पक्षकारान भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर परिवर्तन कर देते है तो अनायास ही प्रकरण में पैचिदगिया उत्पन्न हो जावेगी, एवं पक्षकारो को समय पर न्याय भी नहीं मिल पायेगा। विपक्षी सं. 1 से 6 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 से 6 प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी कर मौके पर भूखण्ड काटकर बेचने पर उतारू हो रहे हैं, जबकि विपक्षीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए विपक्षीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। विपक्षी सं. 7, 8 खातेदार होते हुए अपने हिस्से से अधिक की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। अतः प्रकरण में बंटवाडा होने तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेराखुर्द पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 323 किता 1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 6 मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखे, विपक्षी सं. 7, 8 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा नहीं करें। विपक्षीगण प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:43:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: